

राज्य वषिय' के रूप में शक्तिषा पर वचिार-वमिर्श

प्रलिमिस् के लयि:

[एकीकृत जलि शक्तिषा सूचना प्रणाली \(UDISE\)](#), [राष्टरीय शक्तिषा नीति, 2020](#), [प्रौद्योगकिी संवरद्धति शक्तिषा पर राष्टरीय कारयकरम, PRAGYATA](#), [प्रधनमंतरी शरी सकूल](#), [राष्टरीय परिवार सवासथय सरवेक्षण- 5](#), [संयुक्त राष्ट्र बाल कोष \(UNICEF\)](#), [कृत्रमि](#)

मेन्स के लयि:

[राष्टरीय शक्तिषा नीति, 2020](#) की वशिषताएँ, [भारत में शक्तिषा कषेत्तर से संबंधति प्रमुख मुद्दे](#), [शैक्षकि सुधारों से संबंधति सरकारी पहल](#)

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में [NEET-UG](#) और [UGC-NET](#) जैसी परीक्षाओं को लेकर चल रहे वविादों ने **फरि** से यह **वचिार-वमिर्श** करने के लयि वविश कर दयिा है कि कया शक्तिषा को पुनः राज्य सूची में शामिल कयिा जाना चाहयि।

भारत में शक्तिषा प्रणाली की स्थति कया है?

इतहिास:

- प्राचीन भारत में **गुरुकुल** एक प्रकार की शक्तिषा प्रणाली थी, जसिमें **शषिय (छात्तर)** और गुरु एक ही घर में वास करते थे।
- **नालंदा**, जहाँ वशि्व का प्राचीनतम वशि्वविद्यालय स्थति है, ने समग्र वशि्व के छात्तरों को भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर आकर्षति कयिा है।
- **ब्रिटिश सरकार** ने **मैकाले समति** की अनुशंसाओं, **वुड्स डसिपैच**, हंटर आयोग की रिपोर्ट और भारतीय वशि्वविद्यालय अधनियिम, 1904 के माध्यम से शक्तिषा प्रणाली में **कई सुधार** कयि, जिन्होंने समाज को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमकिा निभाई।

भारत में शक्तिषा की वर्तमान स्थति:

- भारत की कुल साक्षरता दर **74.04%** है जो वशि्व औसत 86.3% से कम है। भारत में कई राज्य राष्टरीय साक्षरता स्तर से थोड़ा ऊपर औसत श्रेणी में आते हैं।
- भारत में साक्षरता में **लैंगकि अंतराल** 1991 में कम होना शुरु हुआ और इसमें सुधार की गति भी तेज हो गई। हालांकि, भारत में वर्तमान महिला साक्षरता दर (65.46%-जनगणना 2011) अभी भी **UNESCO** द्वारा 2015 में रिपोर्ट की गई 87% की वैश्वकि औसत से काफी पीछे है।

वभिनिन वधिकि और संवैधानकि प्रावधान:

- वधिकि प्रावधान:
 - सरकार ने प्राथमकि स्तर (6-14 वर्ष) के लयि **शक्तिषा का अधकिार (RTE) अधनियिम, 2009** के एक भाग के रूप में **सर्व शक्तिषा अभयान (SSA)** को कारयान्वति कयिा है।
 - माध्यमकि स्तर (आयु वर्ग 14-18) की ओर बढ़ते हुए सरकार ने राष्टरीय माध्यमकि शक्तिषा अभयान के माध्यम से **SSA** का वसितार माध्यमकि शक्तिषा तक कयिा है
 - उच्चतर शक्तिषा— जसिमें सनातक, सनातकोत्तर और एमफलि/पीएचडी स्तर शामिल हैं, को सरकार द्वारा **राष्टरीय उच्चतर शक्तिषा अभयान (RUSA)** के माध्यम से संबोधति कयिा जाता है ताकि उच्चतर शक्तिषा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके
 - इन सभी योजनाओं को 'समग्र शक्तिषा अभयान' की छत्तर योजना के अंतरगत शामिल कयिा गया है
- संवैधानकि प्रावधान:
 - प्रारंभ में **DPSP** के **अनुच्छेद 45** का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लयि निःशुल्क और अनविरय शक्तिषा प्रदान करना था, जसि बाद में आरंभकि बाल्यावस्था देखभाल को शामिल करने के लयि संशोधति कयिा गया तथा अंततः इसके उद्देश्यों की पूर्ति होने के कारण **86वें संवधान संशोधन अधनियिम, 2002** के माध्यम से इसे मूल अधकिार (**अनुच्छेद 21A**) बना दयिा गया।

- संवधान की अनुसूची 7 में संघ सूची की प्रविष्टि 64 और 65 में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण आदि के लिये संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है।
- शिक्षा एक 'राज्य के' विषय के रूप में:
 - भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे का निर्माण किया तथा शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा।
 - स्वतंत्रता के बाद के भारत में, शिक्षा एक राज्य का विषय बनी रही।
 - हालाँकि आपातकाल के दौरान **स्वर्ण सहि समिति** ने शिक्षा को **समवर्ती सूची** में स्थानांतरित करने की सफारिश की थी, जिसे **42वें संवधान संशोधन, 1976** के माध्यम से लागू किया गया।
 - **44वाँ संवधान संशोधन** कुछ हद तक परिवर्तनों को ठीक करने का एक प्रयास था।

शैक्षणिक सुधारों से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- [नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसड लर्निंग \(NPTEL\)](#)
- [समग्र शिक्षा अभियान](#)
- [प्रज्ञाता \(PRAGYATA\)](#)
- [मध्याह्न भोजन योजना](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [पीएम शरी स्कूल \(PM SHRI School\)](#)
- [समग्र शिक्षा योजना 2.0](#)

शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिये अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** राज्य और स्थानीय सरकारें शैक्षणिक मानक निर्धारित करती हैं, जबकि संघीय विभाग वित्तीय सहायता तथा समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **कनाडा:** शिक्षा का प्रबंधन प्रांतों द्वारा किया जाता है।
- **जर्मनी:** शिक्षा के लिये विधायी शक्तियाँ लैंडर (राज्यों) के पास हैं।
- **दक्षिण अफ्रीका:** दो राष्ट्रीय विभाग शिक्षा का प्रबंधन करते हैं, जबकि प्रांतीय विभाग स्थानीय कार्यान्वयन का काम संभालते हैं।
- **फिनलैंड का शासन मॉडल:** कई देशों के विपरीत, फिनलैंड मानकीकृत परीक्षाओं पर निर्भर नहीं है। यह प्रणाली स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोग पर जोर देती है, जिससे एक सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षा को राज्य सूची में क्यों रखा जाना चाहिये?

- **मूल संवधान निर्माण:** संवधान निर्माताओं ने शिक्षा को शुरू में राज्य सूची में रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि **स्थानीय सरकारें शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहतर तरीके से कक्षम हैं।**
- **42वें संशोधन का प्रभाव:** आपातकाल के दौरान शिक्षा को एकतरफा तौर पर समवर्ती सूची में डालने से **संघीय ढाँचे** को नुकसान पहुँचा।
 - राज्यों को शिक्षा पर विशेष नयितरण देने से संवधान निर्माताओं द्वारा **परकिल्पित शक्ति संतुलन** बहाल हो सकेगा।
- **राज्य-वशिष्ट नीतियाँ:** राज्य अपनी शैक्षणिक नीतियों को अपनी **वशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों** के अनुरूप बना सकते हैं।
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक और उत्तरदायी है और साक्षरता दर तथा शैक्षणिक परिणामों में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
 - उदाहरण के लिये **अनुच्छेद 350A** के तहत **प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने का प्रयास** किया जाना चाहिये।
- **भन्न-भन्न नीतियाँ:** **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy)** और **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test - NEET)** जैसी केंद्र सरकार की नीतियाँ अक्सर राज्य की नीतियों के साथ टकराव पैदा करती हैं, जिससे अकुशलता और वंचिता पैदा होती है।
- **संसाधनों का आवंटन:** जो राज्य अपने **शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे** में महत्त्वपूर्ण निवेश करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने **निवेश को वनियमित** करने और उससे लाभ उठाने का अधिकार होना चाहिये।
 - शिक्षा मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा पर होने वाले व्यय का अधिकांश हिस्सा (85%) राज्य वहन करते हैं।
- **योग्यता निर्धारण:** NEET जैसी केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाएँ आवश्यक रूप से **विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों की योग्यता या क्षमता को प्रतबिंबित नहीं** करती हैं।
 - राज्यों को प्रवेश मानदंड तैयार करने में लचीलापन होना चाहिये, जिससे छात्रों की क्षमता का बेहतर आकलन और संवर्धन हो सके।
 - **तमलिनाडु व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अधिनियम 2006**, जिसे मद्रास **उच्च न्यायालय** तथा **सर्वोच्च न्यायालय** ने बरकरार रखा है, इस तरह का समर्थन करता है कि **सामान्य प्रवेश परीक्षाएँ योग्यता निर्धारित नहीं** करती हैं।
 - **2022 20222022 20222022 2022 20222022 20222022 2022 2022 20222022** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अंक योग्यता का निर्धारण करने वाला कारक नहीं** है।
- **जवाबदेही का मुद्दा:** यदि महत्त्वपूर्ण संस्थानों को राज्य के दायरे में लाया जाता है, तो इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में राज्य की जवाबदेही

परवाहति तरीके से सुनिश्चित होगी।

शिक्षा को राज्य सूची में क्यों नहीं होना चाहिये?

- **प्राथमिक शिक्षा की स्थिति:** **ASER 2023 रिपोर्ट** के अनुसार, 14-18 वर्ष के अधिकांश ग्रामीण बच्चे कक्षा 3 के गणतीय प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, जबकि 25% से अधिक बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। यह राज्यों में शिक्षा के खराब प्रशासन को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण एवं गतिशीलता:** **कोठारी आयोग (1964-66)** ने **राष्ट्रीय एकीकरण एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा देने के लिये राज्यों में एक समान शैक्षणिक ढाँचे के महत्त्व पर जोर दिया।
 - समवर्ती सूची केंद्र को प्रमुख राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की अनुमति देती है, जबकि राज्य उन्हें स्थानीय संदर्भों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे एकता और विविधता दोनों को बढ़ावा मिलता है।
- **न्यूनतम मानक तथा समानता सुनिश्चित करना:** **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTI), 2009** पूरे भारत में न्यूनतम स्तर की शिक्षा की गारंटी देता है।
 - शिक्षा को समवर्ती बनाए रखने से केंद्र को कार्यान्वयन की नगिरानी करने में सहायता प्राप्त होती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि विंचित वर्गों को उनके राज्य की परवाह किये बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
- **कौशल तथा रोजगार का मानकीकरण:** **FICCI (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ)** की रिपोर्ट में एक मानकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्नातकों के पास अखिल भारतीय रोजगार बाजार के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त हो सके।
 - एक समवर्ती सूची राज्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तैयार करने की अनुमति प्रदान करते हुए एक सामान्य ढाँचा स्थापित करते हुए इसे सुवर्धनजनक बनाती है।
- **राष्ट्रीय संस्थानों एवं प्रत्यायन का विनियमन:** शिक्षा को समवर्ती बनाए रखने से केंद्र को इन संस्थानों में नगिरानी रखने के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है, जो देश भर के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
- **राष्ट्रीय चर्चाओं तथा आपात स्थितियों का समाधान:** **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** **डिजिटल साक्षरता** तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के क्षेत्रों के लिये रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है।
 - **जलवायु परिवर्तन** जैसी नई राष्ट्रीय चुनौतियों के लिये भी एक एकीकृत शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
 - एक समवर्ती सूची केंद्र को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित करने की अनुमति देती है जो राज्य-वशिष्ट चर्चाओं को समायोजित करते हुए इन उभरते मुद्दों का समाधान करती है।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक संघवाद:** **कोठारी आयोग (1964-66)** द्वारा सुझाए गए **"सहयोगात्मक संघवाद"** दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
 - इससे केंद्र द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जबकि राज्यों को पाठ्यक्रम, भाषा और शिक्षण-पद्धति में लचीलापन मिलेगा।
- **परिणाम-आधारित वित्तपोषण:** **नीति आयोग** द्वारा अपने नए भारत के लिये रणनीति @ 75 दस्तावेज़ में की गई अनुशंसा के अनुसार परिणाम-आधारित वित्तपोषण तंत्र को लागू करना।
 - यह सीखने के परिणामों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथा राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- **वर्किकृत स्कूल प्रबंधन:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में परिकल्पित वर्किकृत स्कूल प्रबंधन संरचनाओं को बढ़ावा देना।
 - इससे स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees- SMC) को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, तथा स्थानीय स्वामित्व और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्थानांतरण नीति सुधार:** **TSR सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट (2009)** की सफाई के आधार पर सुधारों का समर्थन करना।
 - इसमें बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पारदर्शी स्थानांतरण नीतियाँ तथा अधिक प्रेरित और प्रभावी शिक्षण बल तैयार करने के लिये प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।
- **राज्य-वशिष्ट बेंचमार्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन:** ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की प्रथाओं से प्रेरित होकर, राज्य-वशिष्ट बेंचमार्क के साथ-साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन ढाँचा विकसित करना। यह क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय तुलना की अनुमति देता है।
- **न्यायसंगत पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में न्यायसंगत पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये भारत सरकार के **"पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन"** (Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching- PMMMMNTT) में उल्लिखित रणनीतियों को लागू करना।
- **राज्य अनुकूलन के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा:** NCERT द्वारा सुझाए गए अनुसार एक लचीला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curriculum Framework- NCF) विकसित करना, जिससे राज्यों को इसे अपने वशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति मिले। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं राज्य की जरूरतों के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

दृष्टि मैनस प्रश्न:

प्रश्न. 'शिक्षा' को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने से शिक्षा क्षेत्र में नीति कार्यान्वयन अधिक प्रभावी हो सकेगा। टपिणी कीजिये।

?????

प्रश्न. भारतीय संविधान के नमिनलखिति में से कौन-से प्रावधान शकिषा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य नीति के नदिशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय नकियाय
3. पाँचवी अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवी अनुसूची

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a)केवल 1 और 2
- (b)केवल 3, 4 और 5
- (c)केवल 1, 2 और 5
- (d)1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

?????

प्रश्न. जनसंख्या शकिषा के प्रमुख उद्देश्यों की वविचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों को वसित्त प्रकाश डालयि। (2021)

प्रश्न. भारत में डजिटिल पहल ने कसि प्रकार से देश की शकिषा व्यवस्था के संचालन में योगदान कयि है? वसित्त उत्तर दीजयि। (2020)